न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0–46/2022

—:आदेश:—

03/03/23 अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर के पत्रांक– 221, दिनांक– 06.02.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक 1. रतन महतो, पिता– स्व0 पलटु महतो, 2. ~~रतन~~ राजेश महतो, पिता– स्व0 चोलाराम महतो, दोनो साकिम– भेलाटॉड़, थाना– बरवाअड्डा, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– भेलाटॉड़, मौजा नं0– 89, पुराना खाता नं0– 19, पुराना प्लॉट सं0– 2357, नया खाता सं0– 97 एवं 137, नया प्लॉट सं0– 1456, 1457, क्रमशः रकवा– 9.90 डि0 + 19.81 डि0= 29.71 डिसमील भूमि क्रेता अमीत कुमार महतो, पिता– संतोष महतो, साकिम– भौरा, थाना– जोरापोखर, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जाति के कुर्मी है तथा विक्रेता थाना– बरवाअड्डा एवं क्रेता थाना– जोरापोखर, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 2 एकड़ 30 डिसमील भूमि शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमी बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 12:09:56 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner